न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष – एम0के0सिंह
सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 2716/।।।/2014 – विरूद्व आदेश दिनांक 21–7–2014 पारित व्दारा – तत्का0 सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 3470–दो/2012

श्रीमती गौरीवाई पुत्री वृन्दावन राजपूत
निवासी ग्राम मझगवां सरकार तहसील
गुनौर जिला पन्ना मध्य प्रदेश ———आवेदिका

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदक

(आवेदिका के अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 05–06–2015 को पारित)

यह पुनरावलोकन आवेदन न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 3470–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त अमानगंज जिला पन्ना ने प्रकरण क्रमांक 56/95–96 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 25–9–1996 से ग्राम ककरा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 466 रकबा 1.51 हैक्टर तथा 726 रकबा 0.30 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया है) आवेदिका के हित में आवंटित/व्यवस्थापित की। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर जिला पन्ना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 51/2001–02 अ 19 पंजीबद्व किया तथा आवेदिका को सूचना निर्वाह न कराते हुये एकपक्षीय निर्णय लेकर आदेश दिनांक 21–4–2003 पारित किया तथा नायव तहसीलदार अमानगंज व्दारा पारित आवंटन/व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25–9–96 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदिका ने राजस्व मण्डल,

म0प्र0ग्वालियर के न्यायालय में निगरानी क्रमांक 3470–दो/2012 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 21–7–2014 से निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह पुनरावलोकन है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्क दिया कि नायव तहसीलदार व्दारा वादग्रस्त भूमि आवेदिका के हित में आदेश दिनांक 25–9–96 से व्यवस्थापित हुई है एंव कलेक्टर पन्ना ने इस आदेश को 21–4–2003 को अर्थात वंटन/व्यवस्थापन के 7 वर्ष के अंतराल में निरस्त किया है जबकि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में निगरानी के लिये तत्समय 45 दिन की समय–सीमा निर्धारित रही है इस प्रकार कलेक्टर पन्ना ने समयवाह्य निगरानी दर्ज कर कार्यवाही की है। उन्होंने यह भी बताया कि कलेक्टर ने भूमि बंटन/व्यवस्थापन निरस्त करने हेतु आधार यह लिया है कि आवेदिका का पति पटवारी है जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य कृषि कार्य, व्यापार आदि कार्य नहीं करें। उन्होंने तर्क दिया कि बंटन/व्यवस्थापन के वाद आवेदिका ने काफी धन एंव श्रम लगाकर पड़त भूमि को समतल बनाया है तथा कृषि योग्य बनाया है सिंचाई के साधन किये है। सात वर्ष वाद स्वमेव निगरानी में बंटन/व्यवस्थापन रद्व करना न्यायदान नहीं है और इन्हीं तथ्यों पर राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 21.7.2014 पारित करते समय ध्यान न देने की भूल हुई है। उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने एंव कलेक्टर पन्ना का आदेश दिनांक 21.4.2004 निरस्त करने की प्रार्थना की।

अनावेदक के पैनल अभिभाषक ने तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल व्दारा प्रकरण क्रमांक 3470–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 को उचित बताते हुये कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक 21.4.2004 को यथावत् रखने की मांग की तथा बताया कि नायव तहसीलदार वृत्त अमानगंज जिला पन्ना ने प्रकरण क्रमांक 56/95–96 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 25–9–1996 से ग्राम ककरा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 466 रकबा 1.51 हैक्टर तथा 726 रकबा 0.30 हैक्टर का आवेदिका के अपात्र होते हुये बंटन/व्यवस्थापन किया है इसलिये पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन

से यह तथ्य निर्विवाद है कि नायव तहसीलदार अमानगंज ने वादग्रस्त भूमि आवेदिका के हित में आदेश दिनांक 25–9–96 से व्यवस्थापित की है जिसे कलेक्टर पन्ना ने आदेश दिनांक 21–4–2003 से अर्थात 7 वर्ष के अंतराल वाद निरस्त किया है। जैसा कि आवेदिका के अभिभाषक ने बताया है कि स्वयमेव निगरानी हेतु समय–सीमा निर्धारित है हालॉकि स्वयमेव निगरानी हेतु कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु 2013 रा0नि0 8 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्व म0प्र0राज्य एंव अन्य के पैरा 3 का न्यायिक दृष्टांत है कि " **भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 –50– स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग – पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किस उपबंध के उल्लंघन के विषय में जानकारी में कब आया – 180 दिवस से वाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता** "। ऐसा ही न्यायिक दृष्टांत 2005 राजस्व निर्णय 66 कैलाश तथा अन्य विरूद्व म0प्र0 राज्य में दिया गया है कि " **भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा 50– कृषि भूमि के आवंटन के आदेश के विरूद्व स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण – युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए – ऐसी पुनरीक्षण के लिये एक वर्ष अयुक्तियुक्त हो सकता है**"। विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर पन्ना ने नायव तहसीलदार अमानगंज के बंटन/व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25–9–96 को आदेश दिनांक 21–4–2003 अर्थात लगभग 07 वर्ष के वाद निरस्त किया है जिसके कारण कलेक्टर पन्ना व्दारा की गई स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समयवाह्य होने से उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 21.4.03 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और इन्हीं तथ्यों पर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 3470–दो/2012 में आदेश दिनांक 21–7–2014 पारित करते समय गौर नहीं किये जाने से यह आदेश भी माने जाने योग्य नहीं है।

6/ कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक 21.4.2003 के पद 3 के अवलोकन से पाया गया कि कलेक्टर पन्ना ने आवेदिका को चस्पीगदी से सूचना पत्र निर्वहन होना मानकर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये अंतिम आदेश पारित किया है, अर्थात आवेदिका को व्यक्तिगत सूचना नही दी गई और न ही उसे सुनवाई का मौका दिया गया। स्पष्ट है कि कलेक्टर पन्ना व्दारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही विधि–सम्मत नहीं है और इस प्रकार की एकपक्षीय कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों के अनुकूल न पाये जाने से कलेक्टर पन्ना का आदेश दि. 21.4.03

नियमानुकुल नहीं है तथा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3470–दो/2012 में आदेश दि. 21–7–2014 पारित करते समय इस बिंदु पर गौर नहीं किये जाने की भूल होना परिलक्षित है।

6/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु है कि नायव तहसीलदार अमानगंज ने भूमि का बंटन/व्यवस्थापन आदेश दिनांक 25–9–96 से किया। भूमि बंटन/व्यवस्थापन में प्राप्त कर कब्जा लेने के वाद आवेदिका ने अकृषि योग्य भूमि श्रम व धन व्यय कर समतल बनाते हुये कृषि योग्य बनाया, अधिक अन्न उपार्जन के लिये सिंचाई का साधन बनाया। तब क्या ऐसी भूमि को स्वयमेव निगरानी में 07 वर्ष उपरांत पुनः शासकीय घोषित करना उचित है ? **2009 राजस्व निर्णय 251 इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन का न्यायिक दृष्टांत है कि " राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 24 सहपठित 30 – म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 – भूमि का आवंटन किया गया / सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गल्तियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमिं आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता"।** ऐसी स्थिति में कलेक्टर पन्ना व्दारा आदेश दिनांक 21.4.03 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं देने की भूल की है और न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3470–दो/2012 में आदेश दिनांक 21–7–2014 पारित करते समय इन तथ्यों पर गौर नहीं किये जाने के कारण पुनरावलोकन में उक्तादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रहते है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालयीन प्रकरण कमांक 3470–दो/2012 में पारित आदेश दिनांक 21–7–2014 अमान्य कर कलेक्टर जिला पन्ना व्दारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 51/2001–02 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 21–4–2003 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव पुनरावलोकन स्वीकार किया जाकर ग्राम ककरा स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 466 रकबा 1.51 हैक्टर तथा 726 रकबा 0.30 हैक्टर पर आवेदिका नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर